संख्या-36/2025/374-23-7099-30-2025

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 21 अप्रैल, 2025

विषयः- लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु "प्रहरी" एप्लीकेशन के उपयोग में, मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में नामित मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-24/2025/296/23-7099/30/2025, दिनांक 25.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु "प्रहरी" एप्लीकेशन के उपयोग में मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में नामित सदस्यों में संशोधन करते हुए मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक), लोक निर्माण विभाग के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ को नामित किया गया है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु लागू शासनादेश संख्या-14/2020/879/तेईस-7-2020-176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-(1) यथासंशोधित शासनादेश सं0-24/2025/ 296/23-7099/30/2025, दिनांक 25.03.2025 में प्राविधानित व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (इण्डो नेपाल बार्डर), लो0नि0वि0, लखनऊ को नामित किया जाता है।

3- इस संबंध में शासनादेश संख्या-14/2020/879/तेईस-7-2020-176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-(1) यथासंशोधित शासनादेश सं0-24/2025/296/23-7099/30/2025, दिनांक 25.03.2025 में प्राविधानित व्यवस्था को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-36/2025/374-23-7099-30-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
4- समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगत लि0, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।